डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू.पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम.पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जून 1995-आषाढ़ 8, शके 1917

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जून 1995

क्र. 7142-इक्कीस-अ-(प्रा.)-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी.पी.एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 24 सन् 1995
मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995.

विषय-सूची

धाराएं :

अध्याय 1 - प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

2. परिभाषाएं।

अध्याय 2 - राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

3. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन।

4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें।

5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।

6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जायेगा।

7. रिक्तियों, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी।

8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना।

अध्याय 3 - आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

9. आयोग के कृत्य।

10. आयोग की शक्तियाँ।

अध्याय 4 - वित्त, लेखा और संपरीक्षा

11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

12. लेखे तथा संपरीक्षा।

13. वार्षिक रिपोर्ट।

14. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना।

अध्याय 5 - प्रकीर्ण

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।

16. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

17. नियम बनाने की शक्ति।

18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

19. व्यावृत्ति।

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 24 सन् 1995

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995

[दिनांक 24 मई, 1995 के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 29 जून, 1995 को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1 - प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "आयोग" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग।

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का, सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है;

(ग) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय 2 - राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन

3. (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) तीन अशासकीय सदस्य जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों जिनमें

से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से होंगे।

(ख) आयुक्त, जनजाति विकास मध्यप्रदेश।

अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

4. (1) आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) राज्य सरकार सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है।

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है।

(ग) विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है।

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जनजातियों के हितों या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है:

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति को नया नामनिर्देशन करके भरा जायेगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की शेष अवधि तक पद धारण करेगा।

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये।

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

5. (1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये आवश्यक है।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये।

वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जायेगा

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

रिक्तियों, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

8. (1) आयोग जब जितनी बार भी आवश्यक हो अपना सम्मिलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय 3 - आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग का यह कृत्य होगा कि वह-

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करे;

(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दे।

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

(2) आयोग की सलाह साधारणत: राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहाँ सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहाँ वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

आयोग की शक्तियाँ

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी अर्थात्-

(क) राज्य के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

अध्याय 4 - वित्त, लेखा और संपरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

11. (1) राज्य सरकार विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये जितनी राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में माना जायेगा।

लेखे तथा संपरीक्षा

12. (1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाये।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

13. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाये,

अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना

14. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का यदि कोई हो, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 5 - प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

16. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

17. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें;

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा;

(ग) धारा 13 के अधीन वह प्ररूप, जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाये;

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

व्यावृत्ति

19. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1983 (क्रमांक 31 सन् 1983) के निरसन के होते हुये भी, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उक्त निरस्त अधिनियम के अधीन गठित आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्रवाई या उसकी सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

भोपाल, दिनांक 29 जून, 1995

क्र. 7143-इक्कीस-अ-(प्रा.) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी.पी.एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2018 — पौष 28, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्रमांक 646/डी. 11/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-01-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 4 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) को संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम , 2017 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, शब्द "अध्यक्ष (चेयरपर्सन)" के पश्चात्, शब्द "तथा उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 3 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा" के पश्चात्, शब्द "तथा एक उपाध्यक्ष होगा" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, जहां कही भी शब्द "अध्यक्ष" आया हो के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ",उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 6 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ",उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 15 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 15 में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ", उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 17 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 17 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ", उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित किया जाये.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्रमांक 646/डी. 11/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-1-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 4 of 2018)

THE CHHATTISGARH RAJYA ANUSUCHIT JANJATI AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

An Act to amend the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995), (hereinafter referred to as the Principal Act), in clause (b), after the words "the chairperson", the words "and Vice Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of the Principal Act, in sub-section (2), in clause (a), after the words "the chairperson", the words "and one shall be Vice Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 4.

4. In Section 4 of the Principal Act, after the word "Chairperson", wherever it occurs, the punctuation and word ", Vice Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 6.

5. In Section 6 of the Principal Act, after the word "Chairperson", the punctuation and word ", Vice Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 15.

6. In Section 15 of the Principal Act, after the words " The Chairperson", the punctuation and word ", Vice Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 17.

7. In Section 17 of the Principal Act, in sub-section (2), in clause (a), after the words "the Chairperson", the punctuation and word ",Vice Chairperson" shall be inserted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.

''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई दिनांक 30-05-2001''

पंजीयन क्रमांक
''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 589) **रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020- आश्विन 23, शक 1942**

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21-अ/ प्रारु./छ.ग./20- छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव

छत्तीसगढ़ अधिनियम

क्रमांक 22 सन् 2020

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 (क्र. 24 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो-

अध्याय 1- प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) आयोग से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग।

(ख) सदस्य से अभिप्रेत है आयोग का, सदस्य तथा अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है।

(ग) अनुसूचित जनजातियों से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय 2- राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

3. (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट हैं)। की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड

(क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये। अर्थात्–

(क) ''छ: अशासकीय सदस्य, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों, जिनमें से एक अध्यक्ष(चेयरपर्सन) होगा और एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) होगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

परन्तु अध्यक्ष (चेयरपर्सन), उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) सहित कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से होंगे।''

(ख) आयुक्त, जनजाति विकास छत्तीसगढ़।

अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

4. (1) ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।''

(2) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है।

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है।

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास में दंडादिष्ट किया जाता है।

(ग) विकृतचित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है।

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जनजातियों के हित या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है।

(3) परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्त को नया नाम निर्देशन करके भरा जायेगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की शेष अवधि तक पद धारण करेगा।

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा संबंदी निबंधन तथा शर्तें ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये।

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

5. (1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्ति करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों

की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्णता पालन के लिये आवश्यक है।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी निबंधन तथा शर्तें ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये।

वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जायेगा

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्यय, अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

रिक्तियों, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगा

7. आयोग का कोई या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्‌यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

8. (1) आयोग जब जितनी बार भी आवश्यक हो अपना सम्मिलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय-3 आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग का यह कृत्य होगा कि वह -

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें।

(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दें।

(ड़) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौपे जायें।

(2) आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्ध कर होगी तथापि जहाँ सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहाँ वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

आयोग की शक्तियाँ

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी अर्थात्-

(क) राज्य के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

अध्याय 4- वित्त, लेखा संपरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

11. (1) राज्य सरकार विधान सभा द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये जितना राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि के उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में माना जायेगा।

लेखे और संपरीक्षा

12. (1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाये।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

13. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समझ रखा जाना

14. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का यदि कोई हो, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 5- प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं.45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगें।

सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

16. इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

17. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्।

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंध तथा शर्ते।

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) की अधीन वह प्रारूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(ग) धारा 13 के अधीन वह प्रारूप, जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाये

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भुत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

व्यावृति

19. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1983 (क्रमांक 31 सन् 1983) के निरसन के होते हुये भी, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उक्त निरस्त अधिनियम के अधीन गठित आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्यवाही या उसकी सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21-अ/ प्रारु./छ.ग. 20-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 15-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रादिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव

CHHATTISGARH ACT

(No. 22 OF 2020)

The Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First year of the Republic of India as follows :

Chapter I - Preliminary

Short tile Extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In The Act, Unless the context otherwise requires,-

(a) "Commission" means the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Constituted under section 3.

(b) "Member" means a member of the Commission and includes the chairperson.

(c) "Scheduled Tribes" means such tribes, tribal communities or parts of, or groups within such tribes or tribal communities specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Chhattisgarh under article 342 of the Constitution or India.

Chapter II - The State Commission for Anusuchit Janjati

Constitution of State Commission for Anusuchit Janjati

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the Chhattisgarh Rajay anusuchit Janjati Ayog to excercise the power conferred on and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of the following members :-

(a) "Six non official members who have special knowledge in the matters relating to

Scheduled Tribes of whom one shall be the chairperson and one shall be the vice chairperson to be appointed by the State Government :

Provided that at least four members including the Chairperson and vice Chairperson, Shall be from amongst the Scheduled Tribes."

(b) Commissoner, Tribal Development, Chhattisgarh

Term of office and conditions of Service of Chairperson and Members

4. (1) "The Chirperson, Vice Chairperson and every member shall hold office, from the date on which he assumes the office, during the pleasure of the state Government."

(2) A member may, be writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of Chairperson or as the case may be, of member at any time.

(3) The State Government shall remove a person from the office of member if that person.

(a) becomes an undischarged insolvent.

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the state Government, involves moral turpitude,

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competen court.

(d) refuses to act or become incapable of acting.

(e) is without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meeting of the Commission, or.

(f) has in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairperson of Member as to render his continuance in office detrimental to the interests of Scheduled Tribes or the public interest.

Provided that no person shall be removed under this clause unless he has been' given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section(2) or otherwise shall be filled by fresh nomiation and the person so nominated shall hold office for the remainder term of his predecessor.

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

4. (1) The State Government shall a Secretary of the Commission and provided the Commission with such other officers and employees and may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to the paid out a grant.

6. The salaries and allowances payable to the chairperson and members and the administrative expenses including salaries, allowance and pensions payable to the Secreatary, officers and other emplyees referred to in Section 5 shall be paid out to the grants referred to in sub-section (1) of Section 11.

Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Commission

7. No act pre proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by the Commission.

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairperson may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

Chapter III-Functions and Powers of the Commission

Functions of the Commission

9. (1) It shall be function of the Commission-

(a) to act as watch-dog Commission for the protection afforded to the members of the Scheduled Tribes under the Constitution and under any other law for the time being in force,

(b) to recommend to the state Government to take steps to add particular tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950

(c) to watch the proper and timely inplementation of programmes meant for welfare of Scheduled Tribes and to suggest improvement in such programmes of the State Government or any other body or authority responsible for such programmes.

(d) to tender advice regarding reservation for Schelduled Tribes in public services and admission in educational institutions.

(e) to perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

(2) The advice of the Commission shall, ordinarily be binding upon the State Government, where, howener, the Government does not accept the advice, it shall record its reason there for.

Power of the Commission

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (I) of Section 9, have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular, in respect of the following matters namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of the state and examining him on oath.

(b) requiring the discovery and production of any document.

(c) Receiveing evidence on affidavits,

(d) requisitioning any public record or copy there of from any court of office.

(e) issuing commission for the examination of witness and documents and.

(f) any other matter which may be prescribed.

Chapter IV - Finance, Accounts and audit

Grants by the State Government

11. (1) The Government shall, after due appropriation made by Legislative Assembly by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it think fit for performing the functions under this act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub section (1)

Accounts and audit

12. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and perpare an annual statement of accounts in such from as may be prescribed by the State Governement.

(2) The Accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General of Chhattisgarh at such intervals as may be specified by hima nd any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.

Anual Report

13. The Commission shall prepare, in such form and at such time for each financial year, as may be prescribed its annual report, giving a full accounts of its activities during the previus financial year and forward a copy there of the State Government.

Annual report and audit report to be laid before the Lagislative Assembly-

14. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under section 9 and the reason for the non-acceptance, if any of any such adivce, and the audit report to be laid as soon as may be after they are received before the legislative Assembly.

Chapter V- Miscellaneous

Chairperson, Member, Officers and employees of the Commission to be publich Servants.

15. The Chairperon, Members, Officers and employees of the Commission shall be deeemed to be public servants within the meaning of Sections 21 of the indian pernal code, 1860 (45 of 1860)

Protection of action taken in good faith.

16. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member, officer or employee of the Commission for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Powers to make rules.

17. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following maters, namely "-

(a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section (5) of Section 4 and the

Secretary, officers and other employees under-sub-section (2) of Section 5,

(b) the form in which the annual statement of accounts sriall be prepared under sub section (1) of Section 12 :

(c) the form in and the time at, which the annual report shall be prepared under Section 13.

(d) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may after it is made on the table of the Lagislative Assembley.

Power to remover difficulties.

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provision, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to is to be necessary or expendient for removing difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall as soon as may be after it is made be laid on the table of the Lagislative Assembly.

Saving

19. Notwithstanding the repeal of the chhattisgarh Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Tatha Pichhada Varg Adhiniyam, 1983, 1983 (No. 34 of 1983) anything done or any action taken in respect of Scheduled Tribes by the Commission constiuted under the said respect of Scheduled Tribes by the Commission constituted under the said repealad Act or by the State Government in pursuance of its recommendation shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of thi act.